अध्याय 14

मानव भिन्नता : वैयक्तिक भिन्नता तथा शिक्षा-व्यवस्था

(HUMAN DIVERSITY : INDIVIDUAL DIFFERENCE AND EDUCATIONAL PROVISION)

वैयक्तिक भिन्नताएँ और शिक्षा

(Individual Difference and Education)

मानव भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ (*Meaning of Human Diversity or Individual Difference*)

हर व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक शीलगुणों (physical and mental traits) में दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है। शारीरिक रचना, रंगरूप, कद आदि गुणों को शारीरिक शीलगुण कहते हैं, जिन्हें हम खुली नजरों से देख सकते हैं। दूसरी ओर बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि, मनोवृत्ति, रुझान, उपलब्धि, आकांक्षा आदि गुणों को मानसिक शीलगुण कहते हैं, जिन्हें हम खुली नजरों से नहीं देख पाते हैं। इनका ज्ञान व्यक्ति की कार्यकुशलता (efficiency of work), व्यवसाय-चयन (selection of occupation), आदि के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह एक वास्तविकता है कि कुछ समान जुड़वाँ (identical twins) तथा कुछ सगे भाई-बहनों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति प्रत्येक शीलगुण में दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं होता है। अतः *"वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण या लक्षणों से है, जो उसे दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना देते हैं।"*[1]

वैयक्तिक भिन्नता को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—(i) समूह के अन्दर भिन्नताएँ (difference within a group) तथा (ii) व्यक्ति के अन्दर भिन्नताएँ (differences within a person)। प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह के दूसरे व्यक्तियों से शारीरिक तथा मानसिक शीलगुणें में भिन्न होता है। समूह के किसी भी दो व्यक्तियों में ये शीलगुण हर प्रकार से समान नहीं होते हैं और यदि मान भी लें कि किसी दो व्यक्तियों में कोई शीलगुण समान मात्रा में है तो भी दोनों के उपयोग में अन्तर होगा। यदि राम और श्याम की मानसिक आयु समान है तो भी सम्भव है कि राम से श्याम गणित में अधिक तेज हो और श्याम से राम कला में तेज हो। इसे ही हम समूह के अन्दर की भिन्नता कहते हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति के ही सभी शीलगुणों की मात्रा बराबर नहीं होती है। जैसे—एक प्रतिभाशाली बालक के सभी शीलगुण समान मात्रा में हों, यह आवश्यक नहीं है। उसके एक ही या दो शीलगुण असाधारण (extraordinary) होते हैं और बाकी शीलगुण मध्यम श्रेणी के (mediocre) ही होते हैं। इसे ही व्यक्ति के अन्दर की भिन्नता कहते हैं।

---

1. *"By individual difference we mean the distinctive feature or features of the individual, which make him distinct from other individuals."*
—*Author*

वैयक्तिक भिन्नता की विशेषताएँ या स्वरूप (*Characteristics or Nature of Individual Difference*)

वैयक्तिक भिन्नता के अर्थ से हम परिचित हो चुके हैं। यहाँ हम इसके स्वरूप एवं विशेषता की व्याख्या करना चाहेंगे ताकि शिक्षा में इसकी सार्थकता प्रमाणित करने में सुविधा हो :—

(i) विभिन्नता (*Variability*)—विभिन्नता का अर्थ यह है कि समूह के सभी व्यक्तियों के शारीरिक तथा मानसिक शीलगुणों में मात्रा का अन्तर होता है। कोई भी शीलगुण या योग्यता किसी भी दो व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं पाई जाती है (जुड़वाँ बच्चे को छोड़कर)।

(ii) सामान्यता (*Normality*)—सामान्यता का अर्थ यह है कि किसी भी समूह के बहुत थोड़े लोगों में कोई योग्यता या शीलगुण बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में होता है और अधिकांश लोगों में यह शीलगुण लगभग समान मात्रा में ही होता है। जैसे—अधिकांश या औसत व्यक्तियों में बुद्धि की मात्रा 89 से 109 बुद्धि-लब्धि के बीच होती है और सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों में बुद्धि-लब्धि 109 से अधिक या 89 से कम होती है। यही बात अन्य योग्यताओं या शीलगुणों के साथ भी देखी जाती है।

(iii) विकास की भेदीय दर (*Differential rate of growth*)—व्यक्ति के शारीरिक विकास तथा परिपक्वता (maturation) की मात्रा में भी वैयक्तिक भिन्नता पायी जाती है। शारीरिक विकास का प्रारंभ न तो सभी व्यक्तियों में एक ही साथ होता है और न समान रूप से जारी रहता है। अतः समान उम्र के होने पर भी बालकों के विकासक्रम में वैयक्तिक भिन्नता पायी जाती है।

(iv) सीखने की भेदीय दर (*Differential rate of learning*)—शारीरिक विकास की भेदीय मात्रा तथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण बालकों के सीखने की मात्रा में भी भिन्नताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः समान आयु के बालकों में भी सीखने की योग्यता (learning-ability) एक-दूसरे से भिन्न होती है।

(v) शीलगुणों के परस्परसम्बन्ध (*Inter-relationship of traits*)—वैयक्तिक भिन्नता की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि व्यक्ति के अपने विभिन्न शीलगुणों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जिस बालक की बुद्धि तीव्र होती है उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी अधिक होती है और जिस बालक की बुद्धि मन्द होती है उसकी उपलब्धि भी अपेक्षाकृत कम होती है। इसी तरह बुद्धि, अभिरुचि, आकांक्षा, आवश्यकता आदि के बीच गहरा सम्बन्ध होता है।

(vi) वंशपरम्परा तथा वातावरण का प्रभाव (*Effect of heredity and environment*) —वैयक्तिक भिन्नता का एक आधार वंशपरम्परा तथा दूसरा आधार वातावरण है। बालकों में कुछ शीलगुण वंशागत या जन्मजात होते हैं और कुछ शीलगुण अर्जित होते हैं जिनके कारण उनमें वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न हो जाती है।

(vii) अन्तर्वैयक्तिक भिन्नता (*Inter-individual difference*)—वैयक्तिक भिन्नता की एक विशेषता यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक ही योग्यता या शीलगुण में भिन्न होता है। जैसे—बुद्धि एक मानसिक योग्यता है, जिसके दृष्टिकोण से दो बालक एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। एक बालक औसत बुद्धि का हो सकता है जबकि दूसरा बालक तीव्र या मन्द बुद्धि का हो सकता है। इसी तरह एक बालक की शारीरिक लम्बाई दूसरे बालक की शारीरिक लम्बाई से कम या अधिक हो सकती है।

(viii) अन्तःवैयक्तिक भिन्नता (*Intraindividual difference*)—वैयक्तिक भिन्नता की

एक विशेषता यह है कि एक ही व्यक्ति अपने ही योग्यताओं या शीलगुणों में भिन्न हो सकता है। जैसे—एक बालक में अमूर्त बुद्धि (abstract intelligence) अधिक हो सकती है तथा मूर्त बुद्धि (concrete intelligence) अथवा सामाजिक बुद्धि (social intelligence) की मात्रा कम हो सकती है।

(ix) धारणा की भेदीय दर *(Differentaial rate of retention)*—वैयक्तिक भिन्नता की एक विशेषता धारणा की भेदीय दर है। एक विषय को एक ही तरह से तथा एक ही समय तक दो व्यक्तियों के सीखने पर भी दोनों में धारणा की दर अलग-अलग होती है। जैसे—दो बालक एक ही शिक्षक द्वारा एक वर्ग में किसी पाठ को सीखता है। फिर भी एक उसे अधिक दिनों तक सही-सही याद रखता है जबकि दूसरा बालक अपेक्षाकृत जल्द ही उसे भूल जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वैयक्तिक भिन्नता के स्वरूप के सम्बन्ध में उपर्युक्त कई विशेषताएँ हैं। स्किनर (*Skinner,* 1990) ने भी कहा है *कि वैयक्तिक भिन्नता का स्वरूप काफी जटिल तथा बहुआयामी है।*

वैयक्तिक भिन्नता के पक्ष या क्षेत्र
(Aspects or Areas of Individual Difference)

व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों (aspects) में वैयक्तिक भिन्नताएँ पाई जाती है। यहाँ हम कुछ मुख्य पक्षों या क्षेत्रों (areas) की व्याख्या करना चाहेंगे:—

1. शारीरिक विकास *(Physical development)*—बालकों के शारीरिक विकास में वैयक्तिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम खुली नजरों ने देख सकते हैं। कुछ बालक लम्बे, कुछ नाटे, कुछ दुबले-पतले तथा कुछ मोटे-ताजे होते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे विकलांग (handicapped) होते है। अतः शिक्षकों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे बालकों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें।

2. मानसिक योग्यता *(Mental ability)*—वैयक्तिक भिन्नता का दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानसिक योग्यता और विशेष रूप से बुद्धि है। बुद्धि परीक्षणों (intelligence tests) के आधार पर पता चलता है कि व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता में मात्रा (degree) का अन्तर होता है।

स्कूल के छात्रों की बुद्धि की जाँच करने पर चलता है कि उनकी बुद्धि-लब्धि (I.Q.) एक-दूसरे से मात्रा में भिन्न है। कोई तीव्र बुद्धि का तो कोई मन्द बुद्धि का और कोई सामान्य बुद्धि का। परन्तु, एक बात हम अवश्य पाते हैं कि कुछ ही छात्रों की बुद्धिलब्धि 89 से कम या 109 से अधिक है। अधिकांश छात्रों की बुद्धिलब्धि 89 तथा 109 के बीच ही है। इसे निम्नांकित ग्राफ से समझें:—

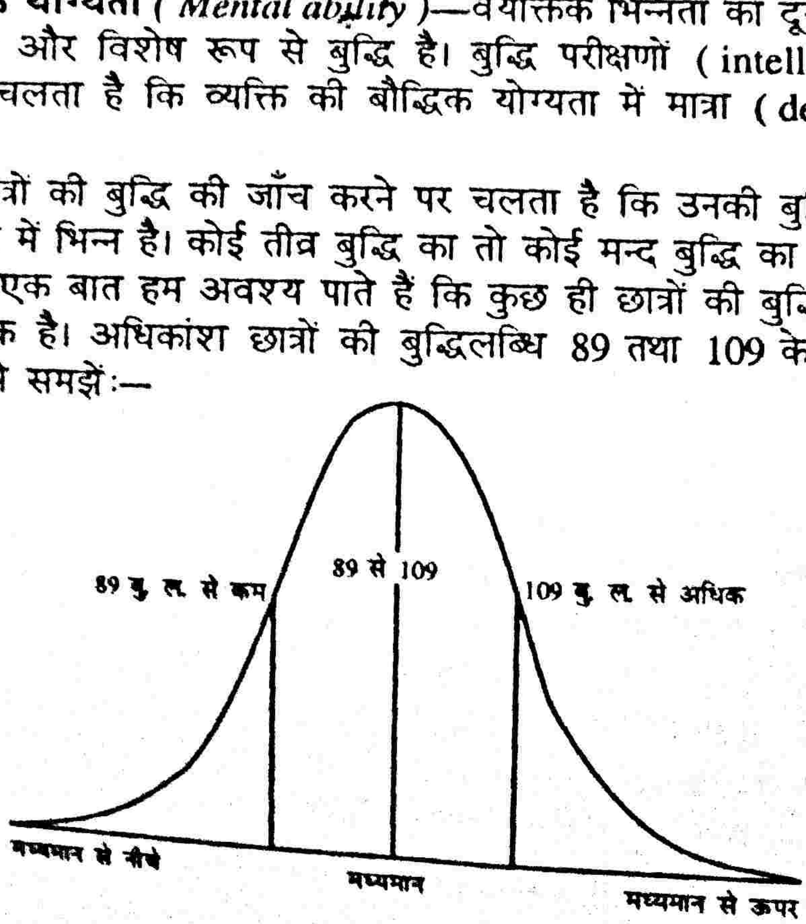

प्रस्तुत ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है कि बहुत थोड़े छात्र 109 बुद्धि-लब्धि से कम या 89 बुद्धि-लब्धि से नीचे हैं और अधिकांश छात्र इन दो सीमाओं के बीच ही आते हैं। वैयक्तिक भिन्नता की यह विशेषता किसी भी मानसिक या शारीरिक शीलगुण के साथ देखी जा सकती है। शिक्षा की दृष्टि से यह विशेषता काफी महत्त्वपूर्ण है। इसी के कारण शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन (educational and vocational guidance) की आवश्यकता होती है।

3. रुझान तथा मनोवृत्ति (*Aptitude and attitude*)—व्यक्ति के रुझान तथा मनोवृत्ति में भी वैयक्तिक भिन्नताएँ देखी जाती हैं। एक छात्र का रुझान कला की ओर तो दूसरे का रुझान विज्ञान की ओर और तीसरे का रुझान संगीत की ओर अधिक हो सकता है। रुझान के साथ-साथ छात्रों की मनोवृत्ति में भी वैयक्तिक भिन्नताएँ पाई जाती है। एक व्यक्ति, वस्तु या संस्था के प्रति एक छात्र की मनोवृत्ति अनुकूल होती है और दूसरे छात्र की मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है। रुझान तथा मनोवृत्ति की इस वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान रुझान-परीक्षण (aptitude test) तथा मनोवृत्ति परीक्षण (attitude test) के आधार पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

4. उपलब्धियाँ (*Achievements*)—विभिन्न प्रकार के उपलब्धि-मापकों (achievement tests) के उपयोग से ज्ञातव्य है कि व्यक्ति की उपलब्धियों अर्थात् ज्ञानोपार्जन में वैयक्तिक भिन्नताएँ होती हैं। प्रायः तीव्र बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धियाँ समान आयु के मन्द बुद्धि के बालकों से अधिक होती है। इसी तरह समान बौद्धिक योग्यता होने पर भी बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों में अन्तर होता है। इस सन्दर्भ में *डैविस (Davis), हेविघर्स्ट (Havighurst)*, आदि के अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।

स्किनर (*Skinner*, 1990) के अनुसार, बौद्धिक योग्यता समान रहने पर भी रुझान, अभिरुचि तथा वातावरण की अनुकूलता या प्रतिकूलता के कारण एक बालक कला (arts) में श्रेष्ठ होता है तो दूसरा वाणिज्य (commerce) या विज्ञान मे श्रेष्ठ होता है। इनके अनुसार पठन (reading) तथा गणित में वैयक्तिक भिन्नता का प्रसार (range) सबसे ज्यादा होता है।

5. ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक क्षमताएँ (*Sensory and motor capacities*)—व्यक्ति की ज्ञानात्मक तथा क्रियात्म्क क्षमताओं मे भी वैयक्तिक भिन्नताएँ पाई जाती है। प्रतिक्रिया काल (reaction time), ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक समन्वयन (sensory-motor co-ordination), क्रियात्मक नियंत्रण (motor control) आदि पर किये गये प्रयोगों से इस बात का समर्थन होता है। इस सन्दर्भ में *लार्सन (Larson), फ्लिश्मैन (Fleishman)* आदि के अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। व्यावसायिक निर्देश की दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता का यह पक्ष काफी महत्त्वपूर्ण है।

6. संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ (*Emotional reactions*)—संवेगात्मक क्षेत्र में भी वैयक्तिक भिन्नताएँ देखी जाती हैं। यह ठीक है कि बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संवेगात्मक प्रतिरूपों (emotional patterns) में बहुत हद तक समानता होती है, फिर भी एक ही संवेगात्मक परिस्थिति या वस्तु के प्रति विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ (reactions) होती हैं। एक ही संवेगात्मक उत्तेजना (emotional stimulus) के प्रति किसी बालक में क्रोध, किसी में भय और किसी में खुशी का संवेग देखा जाता है। इसी तरह बालकों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया में मात्रा का भी अन्तर देखा जाता है। किसी बालक में क्रोध या भय का प्रदर्शन अधिक देखा जाता है और किसी में कम। शैक्षिक दृष्टि से संवेगात्मक प्रतिक्रिया की यह भिन्नता भी विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

7. सामाजिक विकास (*Social development*)—व्यक्तिगत भिन्नता का प्रधान क्षेत्र सामाजिक विकास है। एक ही आयु के बालकों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक शीलगुण (social traits) देखे जाते हैं। कुछ बच्चे डरपोक तथा कुछ बच्चे साहसी होते हैं। इसी तरह कुछ बालक इतने लज्जालु तथा संकोचशील होते हैं कि किसी अनजान (stranger) को देखकर घर में घुस जाते हैं और कुछ बालक ऐसे होते हैं कि किसी अजनबी से मिलने तथा बातचीत करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। कुछ बालकों में प्रभुता (dominance) एवं नेतृत्व (leadership) का शीलगुण देखा जाता है जबकि कुछ बालकों में अधीनता (submission) एवं अनुयायी (follower) का शीलगुण पाया जाता है। बालकों की शिक्षा में इन सामाजिक शीलगुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।

8. यौन भिन्नताएँ (*Sex differences*)—वैयक्तिक भिन्नताएँ पुरुष तथा स्त्री के बीच भी पाई जाती हैं। लड़कियों के शारीरिक विकास की गति लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। लड़कियों का शरीर नाजुक एवं कोमल होता है जबकि लड़कों का शरीर सबल एवं दबंग होता है। लड़कों की वाणी कर्कश होती है जबकि लड़कियों की वाणी मधुर होती है। जहाँ तक मानसिक शीलगुणों का प्रश्न है, बुद्धि-मापकों से पता चलता है कि आरम्भ में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की बुद्धि (परिपक्वता की तीव्र गति के कारण) तीव्र होती है, परन्तु बाद में उनकी औसत बुद्धि में कोई अन्तर नहीं दीख पड़ता है। शिक्षण योग्यता में भी यौन भिन्नता का प्रभाव स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है।

9. व्यक्तित्व भिन्नता (*Personality differences*)—व्यक्तित्व का सम्बन्ध अनेक शारीरिक तथा मानसिक शीलगुणों से है। शारीरिक गठन, बुद्धि, मनोवृत्ति, रुझान आदि व्यक्तित्व के ही तत्त्व (elements) हैं। शारीरिक शीलगुणों के आधार पर ही *क्रेश्मर* (*Kretschmer,* 1925), *शेल्डन* (*Sheldon,* 1944), आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। इसी तरह *युंग* (*Jung,* 1929) आदि मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक शीलगुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कई प्रकारों में विभिजित किया है। *कैटेल* (*Cattell,* 1950) के अनुसार व्यक्तित्व के 171 शीलगुण हैं जिनमें 16 प्राथमिक शीलगुण हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि व्यक्तित्व को विभिन्न 'प्रकारों' में विभाजित करना ही भूल है। कारण यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना भिन्न होता है कि हर व्यक्ति अपने-आप में एक 'प्रकार' है।

10. मानसिक असामान्यता (*Mental abnormality*)—व्यक्तित्व की मानसिक असामान्यता के क्षेत्र में भी वैयक्तिक भिन्नता देखी जाती है। स्मरण रहे कि यहाँ मानसिक असामान्यता का तात्पर्य तीव्र मानसिक विकृति (पागलपन) से नहीं है बल्कि समायोजन समस्या (adjustment problem) से है।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वैयक्तिक भिन्नता के उपर्युक्त कई क्षेत्र हैं। *सौरेन्सन* (*Sorenson,* 1988) ने भी इस संदर्भ में अपना विचार प्रकट किया है और कहा है कि वैयक्तिक भिन्नता के कई क्षेत्र होते हैं।

वैयक्तिक भिन्नता के कारण
(Causes of Individual Differences)

वैयक्तिक भिन्नता (individual differences) के निम्नलिखित कारण हैं:—

1. वंशपरम्परा (*Heredity*)—वैयक्तिक भिन्नता का एक प्रधान कारण वंशपरम्परा है। वंशापरम्परा किसे कहते हैं, इसके कौन-कौन से नियम हैं तथा व्यक्तित्व विकास पर इनका

प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इन सारी बातों की व्याख्या 'वंश-परम्परा और वातावरण' के अध्याय में हम विस्तारपूर्वक कर चुके हैं (देखें अध्याय 6)।

2. वातावरण (*Environment*)—वैयक्तिक भिन्नता का दूसरा प्रधान कारण वातावरण है। वंशपरम्परा समान रहने पर भी वातावरण के कारण एक ही माता-पिता के बच्चों के व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के शीलगुण विकसित हो जाते हैं। वातावरण के कारण बालकों में किस प्रकार वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या भी 'वंश-परम्परा और वातावरण' के अध्याय में पहले ही हो चुकी है (देखें अध्याय 6)।

3. प्रजाति तथा राष्ट्रीयता (*Race and Nationality*)—वैयक्तिक भिन्नता पर प्रजाति तथा राष्ट्रीयता का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रजातियों के बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि शीलगुणों में भिन्नताएँ पाई जाती हैं। वोड (*Woud*) के अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न संस्कृतियों (*cultures*) के लोगों में विभिन्न प्रकार के शीलगुण पाये जाते हैं। फिर भी, अनुसन्धानों से इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है कि राष्ट्रीयता का प्रभाव मानसिक योग्यता पर पड़ता है।

4. आयु (*Age*)—वैयक्तिक भिन्नता पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। आयु-वृद्धि के साथ-साथ बालकों की शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता में भी वृद्धि होती है। फलतः बालकों की ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा मानसिक क्षमताओं में भी वृद्धि आयु-वृद्धि के साथ-साथ होती रहती है। जैसे-जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है उनके अनुभव तथा कौशल (skills) भी बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार वैयक्तिक भिन्नता का एक मुख्य आधार आयु है। परन्तु 13 साल की आयु के बाद शारीरिक या मानसिक क्षमताओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है।

5. स्वास्थ्य (*Health*)—स्वास्थ्य को भी वैयक्तिक विभिन्नता का कारण माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समान आयु होने पर भी स्वस्थ बालकों में अस्वस्थ बालकों की अपेक्षा शारीरिक तथा मानसिक क्षमताएँ अधिक विकसित होती हैं। परन्तु, अनुसन्धानों से पता चलता है कि स्वास्थ्य का प्रभाव बालकों की मानसिक योग्यता और विशेष रूप से बुद्धि पर नहीं पड़ता है। अस्वस्थ बालकों की बौद्धिक योग्यता समान आयु के स्वस्थ बालकों से अधिक हो सकती है। हाँ, शारीरिक शक्ति, रूप, कौशल तथा अनुभव पर स्वास्थ्य का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है।

6. यौन (*Sex*)—यौन-भिन्नता (sex difference) का प्रभाव भी वैयक्तिक भिन्नता पर पड़ता है। यौन-भिन्नता के कारण ही लड़कों में श्रेष्ठता का भाव (feeling of superiority) तथा लड़कियों में हीनता का भाव (feeling of inferiority) विकसित हो जाता है। भाषा तथा सौन्दर्य-बोध-शक्ति (aesthetic faculty) में लड़कियाँ लड़कों से आगे होती हैं, जबकि गणित तथा स्थान सम्बन्धी कौशल में लड़के श्रेष्ठ होते हैं। बौद्धिक योग्यता पर यौन-भिन्नता का प्रभाव प्रायः नहीं पड़ता है, जिसकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि यौन-भिन्नता का प्रभाव बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं (specific abilities) पर पड़ता है, सामान्य योग्यता (general ability) पर नहीं। इसी प्रकार यौन-भिन्नता के कारण लड़के तथा लड़कियों के शीलगुणों (traits) में भिन्नता पायी जाती है। लड़के प्रायः बहिर्मुखी (extrovert) होते हैं जबकि लड़कियाँ प्रायः अन्तर्मुखी (introvert) होती हैं। इसी प्रकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लज्जा (shyness) का शीलगुण अधिक पाया

जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहनशीलता की विशेषता अधिक पायी जाती है। थोमस (*Thomas*, 1981), लैण्ड (*Land*, 1987), *ऐम्स तथा आरचर* (*Ames* and *Archer*, 1988) आदि के अध्ययन इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

7. परिपक्वता (*Maturation*)—वैयक्तिक भिन्नता के कारणों में एक कारण परिपक्वता है। जैसे—शारीरिक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता, यौन-परिपक्वता, इत्यादि। यह एक वास्तविक है कि परिपक्ता की दर (rate of maturity) में अन्तर होता है। एक बालक में सम्भव है कि परिपक्वता की रफ्तार अधिक तेज हो जबकि दूसरे बालक में इसकी गति या दर अपेक्षाकृत मन्द हो। शारीरिक परिपक्वता की दर तेज होने पर समान आयु होने पर भी किसी बालक का शरीर अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व हो जाता है। इसी तरह बौद्धिक परिपक्वता की दर में अन्तर होने के कारण समान आयु के विभिन्न बालकों के बौद्धिक स्तर में अन्तर हो सकता है। **दास** (*Dash*, 1998) ने भी कहा है— *"विशिष्ट व्यवहार प्रतिरूपों के विकास में परिपक्वता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"*[1]

8. बुद्धि (*Intelligence*)—वैयक्तिक भिन्नता का एक आधार बुद्धि या बौद्धिक स्तर है। जो बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धि समान आयु के मन्द बुद्धि अथवा औसत बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि से अधिक होती है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा मन्द बुद्धि के बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएँ देखी जाती हैं। इसी तरह अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि अथवा सामाजिक बुद्धि की मात्रा में कमी-बेशी होने से भी बालकों की रुचि (interest), मनोवृत्ति (attitude), अभिक्षमता (aptitude), आदि में वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न हो जाती है।

9. आवश्यकता (*Need*)—बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण भी उनके व्यवहार प्रतिरूपों (behaviour patterns) में अन्तर देखा जाता है। शैक्षिक उपलब्धि, अध्ययन विषय के चयन, व्यवसाय के चयन, आदि में वैयक्तिक भिन्नता का एक मुख्य कारण आवश्यकता की विविधता है।

10. संस्कृति (*Culture*)—वैयक्तिक भिन्नता का एक मुख्य कारण संस्कृति है। सांस्कृतिक भिन्नता के कारण व्यक्तित्व शीलगुणों (personality traits) में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है (*Mead*, 1935, 1951)। इसी तरह सांस्कृतिक भिन्नता के कारण समान आयु के होने पर भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के बच्चों के व्यवहार प्रतिरूपों में गुणात्मक तथा मात्रात्मक भिन्नताएँ पायी जाती हैं (*Kisker*, 1985)।

वैयक्तिक भिन्नता और शिक्षा
(Individual Difference and Education)

शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण समस्या बालकों की वैयक्तिक भिन्नता है। हम देख चुके हैं कि बालकों की बुद्धि, अभिरुचि, रुझान (aptitude), उपलब्धि (achievement), आकांक्षा (aspiration) आदि में वैयक्तिक भिन्नताएँ होती हैं। अतः एक ही तरह की शिक्षा, एक ही तरह की शिक्षा-प्रणाली सभी बालकों के लिए समुचित नहीं हो सकती है। शिक्षा का उद्देश्य है बालकों में निहित वैयक्तिक क्षमताओं के सहज विकास में सहायता करना है, जो परम्परागत

---

1. *"Maturation plays an important role in the development of specific behaviour patterns."*
—Dash, M. 1998, p. 77

-व्यवस्था से सम्भव नहीं है। अतः स्कूलों में सभी बालकों के लिए एक ही तरह की शिक्षा-व्यवस्था होती है। सबको एक ही समय, एक ही पाठ्यक्रम की शिक्षा, एक ही अध्यापन-विधि से दी जाती है। इससे न तो बालकों की शिक्षा ही समुचित रूप से हो पाती है और इनके अभियोजन (adjustment) में कोई सहायता ही मिलती है। अतः शिक्षा-शास्त्रियों के समक्ष यह समस्या उपस्थित होती है कि बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा की कैसी व्यवस्था की जाये जिससे उनका सर्वांगीण विकास (all round development) हो सके। इसके लिए शिक्षा के निम्नलिखित आधार-तत्वों की उचित व्यवस्था आवश्यक है —

1. **समूहीकरण** (*Grouping*)—स्कूलों में छात्रों को कई समूहों (groups) या वर्गों (classes) में विभाजित करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समूहीकरण के कई प्रकार होते हैं। प्राचीन काल में बालकों की कालानुक्रमिक आयु (chronological age) को ही समूहीकरण का आधार माना गया था, परन्तु, बुद्धि-परीक्षणों के विकसित हो जाने के बाद बुद्धि-लब्धि (IQ) को समूहीकरण का आधार माना गया जो कुछ हद तक बालकों की समुचित शिक्षा के लिए उपयोगी प्रमाणित हुआ।

कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समजातीय समूहीकरण (homogeneous grouping) पर अधिक बल दिया और बतलाया कि बालकों का समूहीकरण उनकी मानसिक योग्यता के अनुकूल होना चाहिए। बालकों को तीन वर्गों या समूहों—उच्च योग्यता-समूह (high ability group), औसत योग्यता-समूह (medium ability group) तथा निम्न योग्यता समूह (low ability group) में विभाजित करके उनकी शिक्षा की अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए। यह समूहीकरण बहुत अंशों में मनोवैज्ञानिक है। परन्तु, इसे और अधिक वैज्ञानिक तथा मनोनुकूल बनाने के लिए बालकों की कालानुक्रमिक तथा मानसिक आयु के साथ-साथ शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक परिपक्वता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

2. **पाठ्यक्रम** (*Curriculum*)—वैयक्तिक विभेद के दृष्टिकोण से सभी बालकों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए, विभिन्न समूहों के बालकों के लिए अलग-अलग अनुकूल पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। प्रतिभाशाली बालकों (gifted children), मन्द बुद्धि के बालकों (mental deficient children), तथा विशिष्ट अक्षम बालकों (specific disabled children) के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम उपयुक्त होगा, इसकी विस्तृत व्याख्या सम्बन्धित अध्याय में की गई है। अतः यहाँ हम इतना ही कहना उचित समझते हैं कि भारतवर्ष जैसे प्रजातन्त्रात्मक देश के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संकीर्ण (narrow) नहीं होना चाहिए बल्कि इसका व्यापक होना चाहिए जिसमें अधिक-से-अधिक विषयों को सम्मिलित किया जा सके ताकि छात्रों को उनकी योग्यता, अभिरुचि, क्षमता, अभिवृत्ति तथा आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जा सके। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम को कठोर (rigid) नहीं होना चाहिए बल्कि लचीला (flexible) होना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन या परिमार्जन (modifications) लाया जा सके।

3. **अध्यापन-विधियाँ** (*Methods of teaching*)—पाठ्यक्रम की तरह अध्यापन-विधियों का चयन भी वैयक्तिक विभेद के आधार पर होना चाहिए। कारण यह है कि भिन्न-भिन्न कक्षाओं (grades) के बालकों के लिए एक ही प्रकार की अध्यापन-विधि उपयुक्त नहीं होती है। किस वर्ग या समूह के बालक के लिए किस प्रकार की अध्यापन-विधि उपयुक्त होती है, इसकी व्याख्या विस्तारपूर्वक 'अध्यापन तथा अध्यापक' के अध्याय में पहले की जा चुकी है (देखें अध्याय 5)।

4. विशिष्ट एजेंसी *(Special agencies)*—बालकों की शैक्षिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक समायोजन सम्बन्धी कुछ समस्याएँ इतनी गम्भीर होती है जिनके लिए विशिष्ट एजेंसी जैसे बाल-निर्देशन निदानगृह (child guidance clinic) की व्यवस्था की जाती है। निदानगृह मे निपुण मानसिक चिकित्सक (psychiatrist), शिक्षा मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक रोग सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता होते है। निदानगृह में कुसमायोजित बालकों को रोग-निर्णय (diagnosis) तथा निदान (prognosis) के लिए भेजा जाता है। निदानगृह के कर्मचारी (personnels) बालकों की जाँच करके उचित परामर्श देते है तथा चिकित्सा में यथासम्भव सहायता करते है। इस कार्य के लिए कुछ स्कूलों में सलाहकारों (counsellors) की नियुक्ति की जाती है।

5. शारीरिक भिन्नता *(Physical difference)*—वर्ग में उपस्थित बालकों में शारीरिक भिन्नता भी पायी जाती है। कुछ बालक लम्बे कद के होते हैं और कुछ बालक नाटे कद के होते हैं। इसी प्रकार कुछ बालक कम सुनते हैं और कुछ बालकों में सामान्य रूप से सुनने की योग्यता होती है। इस वैयक्तिक भिन्नता के आलोक में वर्ग शिक्षक को चाहिए कि नाटे कद के बालकों तथा कम सुनने वाले बालकों को वर्ग में अगले बेंच पर बैठने की व्यवस्था करें तथा लम्बे कद वाले बालकों तथा सामान्य श्रवण संवेदना वाले बालकों को पिछले बेंच पर बैठाने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार जिन बच्चों में देखने की योग्यता कम हो उसे अगले बेंचों पर तथा जिनमें देखने की क्षमता सामान्य हो उन्हें पिछले बेंचों पर बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

6. गृह-कार्य *(Home task)*—वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन से शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को गृहकार्य देने में सुविधा होती है, जिन बालकों में बौद्धिक योग्यता कम होती है, उन्हें अधिक सरल कार्य (task) दिया जाता है और जिन बालकों में बौद्धिक योग्यता अधिक होती है, उन्हें अधिक कठिन कार्य दिया जाता है। इस व्यवस्था से बालकों को अपने गृह-कार्य को पूरा करने में रुचि मिलती है तथा वे उसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास (self-confidence) विकसित हो पाता है।

7. शैक्षिक निर्देशन *(Educational guidance)*—वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन से शिक्षकों को यह सुविधा होती है कि बालकों को उनकी बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि, आवश्यकता-सामाजिक आर्थिक स्थिति को अनुकूल शिक्षा की सलाह देते हैं। इससे बालकों की शिक्षा समुचित रूप से सम्भव हो पाती है।

8. व्यावसायिक निर्देशन *(Vocational guidance)*—वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को उनकी बुद्धि, अभिरुचि, धातुस्वभाव (temperament) आदि के अनुकूल सलाह देने में सक्षम होते हैं। इस आधार पर वे व्यावसायिक समायोजन स्थापित कर पाते हैं।

9. अलाभान्वित बच्चों की शिक्षा *(Education of disadvantaged children)*—वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन से शिक्षकों तथा अधिकारियों को अलाभान्वित बच्चों की शिक्षा तथा उनके समायोजन की व्यवस्था करने में मदद मिलती है। लाभान्वित बच्चों (advantaged children) की अपेक्षा अलाभान्वित बच्चों में सीमित बौद्धिक योग्यता, भिन्न अभिरुचि, भिन्न मनोवृत्ति तथा भिन्न आवश्यकता पायी जाती है। अतः इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने पर उनका सर्वांगीण विकास सम्भव हो पाता है।

❑

उच्चतर
शिक्षा मनोविज्ञान

[ADVANCED EDUCATIONAL PSYCHOLOGY]

[यू. जी. सी. के आदर्श पाठ्यक्रम पर आधारित
बी. एड., एम. एड. तथा एम. ए. के विद्यार्थियों के लिए]

डॉ० मुहम्मद सुलेमान
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सेवानिवृत्त), स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग
कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पटना

स्थापित 1946
नेशनल बुक डिपो

मोतीलाल बनारसीदास
दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर,
वाराणसी, पुणे, पटना